



# OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, महोदय के द्वारा आपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 21 माह 15 दिन का सश्रम कारावास व 02 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.10.2018 को अभियुक्त के कब्जे से 05 कि0ग्रा0 अफीम डोडा चूर्ण बरामद होने के संबंध में थाना मिलक पर मु0अ0सं0-552/18 धारा- 8/15 NDPS Act बनाम वसीम पुत्र लतीफ निवासी रौरा खुर्द थाना मिलक जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- 29.06.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-05, रामपुर द्वारा अभियुक्त वसीम पुत्र लतीफ उपरोक्त को 21 माह 15 दिन का सश्रम कारावास व 02 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त वसीम पुत्र लतीफ उपरोक्त को 21 माह 15 दिन का सश्रम कारावास व 02 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

वसीम पुत्र लतीफ निवासी रौरा खुर्द थाना मिलक जनपद रामपुर।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826